

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 17.07.2025

क्रमांक: दि स 06/Exam/School Lect.&Coach/RPSC/EP-I/2025-26

आयोग द्वारा गतविधि के लिए राजस्वलन प्रिया (राज्य एप्लीकेशन्स) ने इस्यम, 2021 के उत्तरांग प्राप्तिक एवं कोष (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न 27 विभागों के कुल 3225 पदों पर नारी हेतु ऑनाईड्रेन आवेदन आवंत्रित किए जाते हैं। पद स्थान हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल विभिन्न पदों की विवरणात् लख्या (पदों में कमी/मृदि की जा सकती है) निम्नानुलित है—

S.No.	Name of Subjects	Total Posts
1	Hindi	710
2	English	307
3	Sanskrit	70
4	Rajasthani	06
5	Punjabi	06
6	Urdu	140
7	History	170
8	Political Science	350
9	Geography	270
10	Economics	34
11	Sociology	22
12	Public Administration	02
13	Home Science	70
14	Chemistry	177
15	Physics	94
16	Maths	14
17	Biology	85
18	Commerce	430
19	Drawing	180
20	Music	07
21	Physical Education	73
22	Coach (Athletics)	02
23	Coach (Basketball)	02
24	Coach (Volleyball)	01
25	Coach (Handball)	01
26	Coach (Kabaddi)	01
27	Coach (Table Tennis)	01
	Total	3225

३०८

उक्त सभी विषयों के पदों का वर्णन वर्गीकारण वृत्तिक तथा लायग्र द्वारा शामिल होने के दिवा वर्णन।

पांच

- कार्यिक (क-२) दिवान का उपयुक्त दिनांक 17.01.2013 के अनुसार कर्ता का विवर न सही न होने के लिए प्रत्येक वर्ष और वधारिष्ठि अति पिछड़ वर्गों के पात्र वापर कार्यिक (क-२) विवाह की अदिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार किसी वर्ष दिवान में सीधी भर्ती के लिए प्रिछड़े वर्गों और वधारिष्ठि अति पिछड़ वर्गों के पात्र वापर का उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध न होने की दर्शा न देने के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को वधारिष्ठि तीन मही वर्षों के लिए अनुमति किया जाएगा। तीन मही वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अवधीनीत की गई दिवानी सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर्ती जायेगी परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ग को इस उपनिवेश के प्रधानमंत्री नहीं करेगा और यह विवाह के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का वर्ष जाना चाहे जन्मार्थित रोटर के अनुसार पर्वों के आवधान की प्रभावित नहीं करेगा और चौकट्ट में आरक्षित पर्वों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों द्वा वधारिष्ठि अनुसूचित उनजातियों, पिछड़े वर्गों और वधारिष्ठि अति पिछड़े वर्गों को वधारिष्ठि वर्ष में भर्ती जाएगा।
 - राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से लक्षणीय वर्ग (E.W.S.) के लिए आरक्षित वर्गों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अन्यथा उपलब्ध नहीं होने पर इन वर्गों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से मुख जायेगा।
 - किसी वर्ष दिवान में वा तो जिला या विधिन-दिवान/परिवर्तन/तलाकशुदा महिलाओं ने से किसी वर्ष और उपयुक्त अन्यथा के उपलब्ध न होने की दशा में विकासीयों को प्रधानमंत्री बनार-परिवर्तन द्वारा, अधीन विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों में विधिन विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा महिलाओं से या इसांहे विपरीत (Vice Versa) के लिए आरक्षित रिक्तियों से भर्ता ज्ञा संकेत। पर्याप्त स्पष्टीय से विधवा और विधिन विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा अन्यथा के उपलब्ध न होने की दशा में, म सही गणीय विकासीय उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जाएगी और पात्र वर्ष उपयुक्त नहीं अन्यथा के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया उस प्रवर्ग के पूर्ण अन्यथा द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए विधवा आरक्षित है। महिला अन्यथा के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया पर्याप्त अन्यथा की जायेगी। विधवाओं वैर विधिन विवाह/परिवर्तन/तलाकशुदा महिलाओं जहिला, गहिलाओं के लिए आरक्षण वर्गों के नीतार कीतज्ज्ञ आवधान नहीं जायेगा। अब्दी प्रवर्ग की सामान्य योगदान में विधिन विधवा वर्गों की पहले महिला बोटे के विरुद्ध समावेशित किया जायेगा।
 - विशेष धोग्यजन/निःशरणात्मक ने लिए दशाएं गए पर्वों का आवधान कीरित (Horizontal) है अर्थात् अन्यथा जिस वर्ग का होना उसी वर्ग के अन्तर्गत समावेशित किया जायेगा।
 - राजस्थान सिविल सेवा (मूलपूर्व सेविकों का बदलेन), नियम, 1988 के अनुसार मूलपूर्व सेविकों के लिए रिक्तियों का आवधान सीधी भर्ती में प्रदर्शित कीरित (Categorywise-Horizontal) होगा। किसी वर्ष दिवान में पात्र और उपयुक्त मूलपूर्व सेविकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और विकासीय की सामान्य संख्या अगले भर्ती वर्ष में आपरीत भरी जायेगी तथा उपर्याप्त दर्शी रिक्तिया घपरत हो जायेगी।
 - राजस्थान दिवानामन अधिकार नियम 2018 के अनुसार जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई विशेष उपयुक्त विवाहार्थी निःशरणात्मक विवाहार्थी के अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भर्ती नहीं जा सकी है, तो ऐसी विशेष आगामी भर्ती वर्ष में अप्रीत की जायेगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त विवाहार्थी निःशरणात्मक उपलब्ध नहीं होता है तो उस प्रवर्ग निःशरणात्मक की विकासीय विधिन वैरियों ने अन्तररिद्वान (Interchange) कर सकता जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशरणात्मक उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस विशेष की निःशरणात्मक की विवाहार्थी के भर्ती संकेत।
 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ वर्ग, अति पिछड़ वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं मूलपूर्व सेविका हेतु आरक्षित पर्वों का सामान्य राज्य के मूल नियोक्ता सेविकों को ही देय है। अन्य राज्य के आवेदकों को उन्होंना जाम देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ष के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा। मानवीय तर्कीव न्यायालय द्वारा C.A. No. 1085/2013 ने जारित नियंत्रण दिनांक 30.08.2018 एवं मानवीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.S.A.W. No. 1116/2018 ने जारित नियंत्रण दिनांक 18.09.2018 के अनुसार राजस्थान संघर्ष की बाहर अन्य रुचय भरी भिलियों ने विधायीप्रस्तर राजस्थान राज्य की मूल नियासी वर्ग जारी है तो उसे public employment में एकसी/एकटी/जोड़ीसी/एकबीसी वर्ग ने आवधान का जाम नहीं दिया जायेगा। इसलिए उन्हें सामान्य वर्ग के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
 - कार्यिक विवाह की अधिसंघना दिनांक 15.03.2013 से 21.11.2019 ती अनुसार ही उत्कृष्ट विलासी ली पात्रता रखने वाले अन्यथा की आवधान का साम देय होगा। टिप्पणी—“दिन्दु संख्या 01 से 08 तक के प्रावधान संवित वर्ग के अन्तर्गत पद आरक्षित होने की विधिति में ही लाग आएंगे।”

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएँ :

(१) उपर्युक्त पद कम से १ से १२ तक एवं १४ से १६ तक के लिये — Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in the relevant subject with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

पद का संख्या 13 के लिये – Post Graduate or equivalent examination recognized by UGC/ Indian Council of Agricultural Research in Home Science with Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.

पद क्रम संख्या 17 के लिए – Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Zoology/ Botany/ Micro-Biology/ Bio-Technology/Life Science/Bio Science provided they have Studied Botany and Zoology at Graduation level with degree or diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/ Government.

पद ज्ञान संख्या 18 के लिए :- (i) Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Commerce with B.Com. OR Post Graduate or equivalent examination recognized by UGC in Commerce, having atleast two teaching subject for Higher Secondary classes as prescribed by the Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer for Commerce group.

(ii) Degree or Diploma in Education recognized by the National Council of Teacher Education/Government.

पद जन संख्या 19 के लिये – Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Drawing or the qualification declared equivalent thereto by the Government or Diploma of four/five years' duration in Arts from any school / College of Arts recognized by the Government.

पद जन संख्या 20 के लिये – Post Graduate or Equivalent examination recognized by UGC in Music or the qualification declared equivalent thereto by the Government.

पद जन संख्या 21 के लिये – Graduate or Equivalent examination recognized by UGC and Post Graduate in Physical Education/M.P.Ed. (2 years duration) recognized by the National Council of Teacher Education.

पद जन संख्या 22 से 27 के लिये – Graduate or Equivalent examination recognized by UGC with Degree or Diploma in Physical Education and Full term/time National Institute of Sports (NIS) Certificate from any branch of National Institute of Sports,

टिप्पणी – पद जन संख्या 22 से 27 के लिये National Institute of Sports (NIS) हारा पाए प्रमाण-कृत संरचित विषय में अर्थात् हारा आवश्यक है।

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani culture.

Note: 1. अभ्यर्थी को वासित शैक्षणिक अर्डला (शैक्षणिक योग्यता, उन्नत इत्यादि) होने पर ही Online छावेदान करना चाहिये तथापि ऐसे अभ्यर्थीयों को आवश्यक हारा औनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संरक्षित रखनी चाहिये तब औनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित (Withdrawal) करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2. असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा बहुत नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहारित (Withdrawal) नहीं किया जाना नारकीय न्याय तहित, 2023 (BNS) की घासा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को वालान्तर में वार्तान्तिंग / पात्रता जाँच / साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर इस परीक्षा के औनलाइन आवेदन को निरस्त करते हुए आगामी तीन वर्ष तक अधिकारी द्वारा परीक्षाओं से विद्युतित (Debar) किया जाएगा।

शैक्षणिक अर्डला संबंधी प्रावधान	पद को अप्रील शैक्षणिक अर्डला के अंतिम दर्द की वरिष्ठ में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन लगाने के लिए पात्र होगा, जिन्हें उसे आवश्यक हारा आवश्यक विविधानीय परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्डला अप्रील करने का तहत देना होगा।
---------------------------------	--

वेतन का रूपनाम पृष्ठ	५-प्रैट्रिज्यल लेवल L-12 (Grade Pay -4800/-) नोट – राज्य संख्या के नियमानुसार परिवीक्षाकाल में नियमित भारिक वेतन (Fix Pay) देय होगा।
----------------------	--

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम् 21 वर्ष एवं उपरिकत्तम् 40 वर्ष से लम्ह होनी चाहिये। नोट – पद जन संख्या 1 से 11 एवं 13 से 21 तक के पद आवश्यक हारा वर्ष 2024 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2025 रखा गया था। अतः उक्त पद जन्मी हुई जी अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्षानानुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय नहीं होगी। पद जन संख्या 12 के पद आवश्यक हारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2023 रखा गया था। तत्पश्चात् उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन पारी नहीं किया गया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्राक्षानानुसार अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी।
----------	---

विज्ञापित परीक्षा के अनुलय दर्शाये गए आवश्यक पदों हेतु विभिन्न वर्गों / उन्न प्रिशिट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रकाशन

क्र.सं.	अभ्यर्थीयों का वर्ग एवं आवश्यक विकास संक्षिप्त	अधिकतम आयु में देय छूट
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आविक वर्ग से कमज़ोर वर्ग के प्रूत्तम Male Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	5 वर्ष Five Years
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा/आविक वर्ग से कमज़ोर वर्ग की महिला Women Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, More Backward Classes and Economically Weaker Sections of Rajasthan State	10 वर्ष Ten Years
3.	सामाजिक (अनारक्षित) वर्ग की महिला Women Candidates belonging to General Category	5 वर्ष Five Years
4.	सिंगल एवं किंवित विवाह (परिवर्त्यका) महिला Explanation :- In the case of a widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee, she will have to furnish proof of divorce.	अधिकतम आयु सीमा नहीं

5.	उम्रुक्त उच्चालन आयु सीमा उस भूतपूर्व कीदी के मामले में लगानु नहीं होगी जो दोपासोंदें से पूर्व दरकार के अधीन किसी पद पर Substantive post पर देय कर सका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who had served under the Government on a substantive basis on any post before his/her conviction and was eligible for appointment under these Rules.
----	--

6.	उम्रुक्त उच्चालन आयु सीमा उस भूतपूर्व कीदी के मामले में लगानु नहीं होगी जो दोपासोंदें से पूर्व दरकार के अधीन किसी पद पर Substantive post पर देय कर सका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the term of imprisonment served in the case of other ex-prisoners who was not over age before his conviction and was eligible for appointment under these Rules.
----	--

7.	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उत्तरी ही काल की छूट होगी जिन्होंने उन सी.सी. ने जी होगी दर्शाते परिणामित आयु अधिकातम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें विकासित आयु सीमा में ही समझा जावा। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors, if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
----	---

8.	प्रावित समितियों देवा परिवारों के कारोबार में Substantive रूप से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिकातम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। The upper age limit for persons serving in connection with the affairs of the State, Panchayat Samities and Zila Parishads and in the State Public Sector Undertaking/Corporations in substantive capacity shall be 40 years.
----	--

9.	निर्मुक्त हारा आपातकालीन कर्मीशण प्राप्त अधिकारियों और लापु लेवल प्राप्त अधिकारियों को सेवा ने निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जाएगा याहूं उन्हें अधीन के सम्भव उपरिक्त होने वाले समय आयु सीमा पार कर ली ही दर्शाई कि वे सेवा ने कर्मीशण बढ़ाने के समय आयु सीमा को दूरी से पात्र थे। The Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after release from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Commission, Board or Appointing Authority, as the case may be, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.
----	--

10.	इस सेवा के किसी पद पर अस्त्वाई नियुक्ति अंगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा दर्शाया जाएगा यहूं आयु सीमा के सम्भव अनियावर ४ वर्ष ५५ वर्ष की अधिकातम उमरी आयु सीमा लागू होगी। The persons appointed temporarily to a post in the Service shall be deemed to be within the age-limit, if they were within the age limit when they were initially appointed even though they have crossed the age-limit when they appear finally before the Commission/Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such, at the time of their initial appointment.
-----	---

11.	राजस्थान सिंहित सेवा (भूतपूर्व सेविकाओं का अनेकान) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सेविकाओं का अधिकातम आयु सीमा ने 10 वर्ष की छूट देय होनी परन्तु इन नियमों के अधीन सिपिलीकरण के पश्चात थे अप्रूपेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती ही हो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लगू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनियावर ४ वर्ष ५५ वर्ष की अधिकातम उमरी आयु सीमा लागू होगी। According to the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules 1988, relaxation in upper age limit shall be ten years for Ex-servicemen; Provided that if permissible age after relaxation under this rule works out to be more than 50 years, then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment, where experience of lower post is essential, the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable. स्पष्टीकरण :- यार्डमेंट (क्र-2) विभाग के परिवर्त विनाम 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिंहित सेवा (भूतपूर्व सेविकाओं का अनेकान) नियम, 1988 यार्डमानोंवित प्रावितनी के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु सीमी जो प्रियंकारा जन्य लाक सेवका / जन्यविद्या को देय है, वह भूतपूर्व सेविका को नीं देय होगी अर्थात् आयु सीमी विवितता के सफर ने दोनों नियमों में जो भी हितकर जाकरान है, उसका जन्य भूतपूर्व सेविका को नियमगा।
-----	---

12.	राजस्थान विवित जन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार विवित व्यक्तियों के लिए ऊपर उल्लेखित कापरी आयु सीमा ने 05 वर्ष की छूट देय होगी। According to the Rajasthan Rights of Persons with Disabilities Rules 2018, the upper age limit mentioned above shall be relaxed by 05 years for persons with benchmarks disabilities.
-----	--

नोट :- विभिन्न वर्गों/अन्य विशिट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावितनों जिनमें सामान्य विवित में अधिकातम आयु सीमा से कम/तक की आयु सीमा में छूट दी गई है निश्चयी गले जावेगी।

नोट -

- उपरोक्त अंतिम आयु सीमा में छूट के बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के प्रावधान असंबंधी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अन्यथा को उपरोक्त अंतिम किसी भी एक प्रावधान का अधिकार आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक सी अधिक प्रावधानी तो जोड़ गर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 11 तक के अनुसार कृपया आयु सीमा में छूट दिये जाने के पश्चात् बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित प्रावधान के अनुशार विशेष घोषणा की जपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देय होगी।
- कार्यिक (क-2) विषय के पारंपर दिनांक 26.7.2017 एवं पत्र दिनांक 14.9.2017 व 19.3.2021 के अनुसार लम्बकद (Vertical) व लैटिज (Horizontal) असंबंधी के लिए अतिरिक्त पदों के बिन्दु यदि किसी अन्यथा द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी उच्च विवाहित (जीर्ण-आयुसीमा, जंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसी सामान्य (अनारोधित) रिफिलो के प्रति विवाहित नहीं किया जायेगा।
- राजस्वान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी सभु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष नियमिता है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अन्यथा की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अच्युत पिण्डित भेजिया हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अंकित किये गये हैं। किसी प्रकार के विशेष याद ढी रिक्ति में अंग्रेजी भाषा में अंकित प्रावधान ही मान्य होगे।

अन्य विवरण

वयन प्रक्रिया	अन्यथा का वयन प्रक्रियाएँ परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। उत्तराधिकारी पहुंचे पर आयोग द्वारा उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारी के मूल्यांकन में स्कॉलिंग/मोडलेशन/नीमेलाइजेशन (सामान्यीकरण) पद्धति को अपनाया जा सकता। संबंधित सेवा नियम के नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उत्तराधिकारी के वास तथा सरकारी/नियुक्ति प्राप्तिकारी को अनुशासित किए जायेंगे जो लिखित परीक्षा में प्राप्तांक की नोट (Merit) के रूप में वर्णित होंगे।
---------------	--

परीक्षा का स्थान एवं तारीख	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में व्यापक रूप से सुचित किया जायेगा।
----------------------------	--

परीक्षा योग्यता व पाठ्यक्रम	उच्च पदों से संबंधित सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जायेगी। उच्च नियम में उल्लेखित परीक्षा योग्यता के अनुसार परीक्षा वर्तुनिश्च रूप ने ली जायेगी जिसके सभी प्रवर्ण वस्तुनिश्च प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृष्ठक से जारी किया जाएगा।
-----------------------------	---

आवेदन उद्देश्य	दिनांक 14.08.2025 से दिनांक 12.09.2025 तक 12-00 बजे तक।
----------------	---

आवेदन प्रक्रिया	1. उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व स्वेच्छावान अन्यथा आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants), विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियम का अन्यान्य अवधारक रूप से कर लें। तदूपरन्त ही अन्यथा ऑनलाइन आवेदन करें। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अन्यथा के लिए दिशा-निर्देश (Instructions for Applicants) विज्ञापन का भाग/ऐस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशेष नहीं/परीक्षा हेतु संबंधित नहीं सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही जागू होंगे।
-----------------	---

2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यथा को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अपका एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अन्यथा के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेप्डरी/समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इनाजा एवं बैंक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होगे।

3. जिन अन्यथा द्वारा दूर्वा ने OTR विज्ञापन का भाग/ऐस्सा माना जायेगा तथापि किसी विशेष नहीं/परीक्षा हेतु संबंधित नहीं सेवा नियम एवं विज्ञापन में उल्लेखित प्रावधान ही जागू होंगे।

4. अन्यथा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अन्यथा को आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR-नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।

5. अन्यथा द्वारा दूर्वा ने OTR विज्ञापन के प्रवाहात् OTR Profile में तथ्य के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकेप्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण का इनाजा एवं बैंक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होगे।

6. अन्यथा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अन्यथा आयोग की वेबसाइट पर Preview वैरिएट-फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करने से पूर्व जापनी Live फोटो का Preview वैरिएट-फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।

7. अन्यथा द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अन्यथा आयोग की वेबसाइट पर Preview वैरिएट-फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करने से पूर्व जापनी एवं अन्यथा आयोग की वेबसाइट पर Preview वैरिएट-फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।

8. अन्यथा द्वारा आयोग की वेबसाइट पर Preview वैरिएट-फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करने से पूर्व जापनी एवं अन्यथा आयोग की वेबसाइट पर Preview वैरिएट-फोटो की स्पष्टता को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को Submit करें।

9. अन्यथा आवेदन की अविवादित अंतिम तिथि तक अंगिरा की जा चुकी सभी गैरिगिक योग्यता/अनुमति का विवरण आवेदन पत्र में स्पष्टता एवं आवश्यक तौर पर अंकित करें।

10. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के प्रवाहात् आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जामा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं जाएगा।

11. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय जगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो Recruitment Portal पर दिये गये Helpdesk Number या E-Mail पर समर्पक करें।

12. आवेदक रिस क्रीपी के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी क्रीपी में ऑन-लाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथा सुचना पर आयोग अन्यथा पर डिशार सहित नियन्त्रनुसार कार्यालयी के लिए स्वतंत्र होगा।

13. राजस्वान राज्य के प्रियद्वारा वर्ग/अंतिरिक्ष वर्ग की गैरिगिक योग्यता के अंदरका राज्य राजस्वान राज्य से मिल रही हो तो अनुसृत याति/अन्य विच्छिन्न वर्ग/अंतिरिक्ष वर्ग (Creamy Layer and Non-Creamy Layer)/आधिक रूप से क्रमांक वर्ग के अंतर्गत आयोग होता है। उसे इसे आवेदकों को जापना वाली वर्गीय वर्ग के अंतर्गत आयोग होता है।

14. अन्यथा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के प्रवाहात् आवेदन पत्र की हाड़ कोपी तथा प्रिन्ट अवश्यक रूप से निकाल लें।

15. अन्यथा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के प्रवाहात् आयोग की वेबसाइट पर Exam Dashboard का सामद-तमाद पर ड्रॉपलोड करें यदि क्रीपी की परीक्षाओं/ग्राही संबंधित समस्त सूचनाएँ आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित/उपलब्ध की जाती हैं। प्रधक तो सूचना/पत्र जारी नहीं किया जाता है।

16. आयोग द्वारा अन्यथा से उक्त प्रक्रियानुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के अंतिरिक

7. आयोग द्वारा अन्यथा से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी नी टरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा व उसी संशोधन प्रक्रिया के उपरान्त लोड भी ऑफलाइन/ऑनलाइन परिवर्तन करने हेतु अन्यथा को योई जाननी अनिवार नहीं होगा।

एकाधीय पंजीयन शुल्क - बार्मिंग (कि-२) विषया के परिवर्तन दिनांक 15.04.2023 के द्वारा जारी मर्ही परीक्षाओं व एकाधीय पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है-

1. सामान्य (झगड़ावित) / पिछड़ा वर्ग के कीमीलेवर/अति पिछड़ा वर्ग के कीमीलेवर के अन्यथा - रुपये 600/-
2. आवश्यक वर्ग (अनुसृष्टि जाति/अनुसृष्टि जनजाति/पिछड़ा वर्ग-नौन कीमीलेवर/अति पिछड़ा वर्ग-नौन कीमीलेवर/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/सहारिया आदिम जाति) के अन्यथा - रुपये 400/-
3. विद्याग्रन्थ - रुपये 400/-

टोट -

1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसृष्टि जाति/अनुसृष्टि जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अन्यथा जो सामान्य वर्ग का अन्यथा मर्हा जाएगा। अत ऐसे कावदकारों को सामान्य वर्ग के लिए नियमित पंजीयन शुल्क देना होगा।
2. जिन अन्यथा द्वारा पूर्व में दस टाईब रिजिस्ट्रेशन किया जा चुका है व अन्यथा भी एकाधीय पंजीयन शुल्क द्वारा जोग इन तरह दस टाईब रिजिस्ट्रेशन के अधिक पर जाकर उपयुक्तानुसार नियमित एकाधीय पंजीयन शुल्क जारी करेगा।

एकाधीय पंजीयन शुल्क जन्म अवधि के पश्चात परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होने वाले अन्यथा के लिए बार्मिंग (कि-२) विषया परिवर्तन दिनांक 09.05.2023 जारी किया गया है जो कि निम्नलिखित है-

- (i) कोई अन्यथा आयोग/बोर्ड व अन्य भर्ती संस्थाओं द्वारा एक विशेष वर्ग (दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च) में आयोजित 02 वर्गी परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी विधि में अन्यथा के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबन्धित (Block) कर दिया जायेगा।
- (ii) अन्यथा द्वारा शुल्क 750/- रुपये का मुगलान करने के पश्चात ही एकाधीय पंजीयन शुल्क (O.T.R.) को मुनः चालू (Unblock) किया जायेगा।
- (iii) एक वार O.T.R. मुनः चालू (Unblock) होने पर यदि अन्यथा उसी विशेष वर्ग में 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को मुनः ब्रॉकेजिट (Block) कर दिया जायेगा।

(iv) मुनः ब्रॉकेजिट O.T.R. को अन्यथा के द्वारा ताकि रुपये 1500/- का मुगलान करने के पश्चात ही औटीआर चुक्का पुनः चालू की जायेगी। इसपरीक्षीय यदि कोई आवेदक किन्हीं कारणों से परीक्षा ने उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है तो उसे इस परीक्षा विधि से पूर्व आयोग द्वारा आवेदन पत्र को प्रत्याहरित (Withdraw) किये जाने का अवसर प्रदान करने पर आवेदन पत्र प्रत्याहरित किये जाने पर हस्त परीक्षा में औटीआर प्रतिबन्धित करने के संबंध में अनुपस्थित नहीं कहा जायेगा।

विशेष योग्यजन/विद्याग्रन्थ अन्यथा को भूतलेखक/शातिष्ठूरक समय उपलब्ध करताएं जाने के तंत्रमें विशेष निर्देश-

1. अन्यथा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में विशेष योग्यजन/विशेष योग्यजन भेजी भरे जाने तथा भूतलेखक संख्यी विकल्प का चयन किये जाने का अभिप्राय यह नहीं है कि यह भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र/योग्य है। भूतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिए अन्यथा को आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक है अन्यथा अन्यथा की भूतलेखक की सुविधा देख नहीं होगी।
2. ऐसे विशेष योग्यजन अन्यथा जो वर्ग का भूतलेखक लाने चाहते हैं, उन अन्यथा को परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाइट चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अन्यथा एवं भूतलेखक का वर्धन-पत्र, भूतलेखक की फोटो पहचान पत्र य ईंट्रिएट योग्यता के प्रमाण की ब्रॉकेजिट केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी।
3. ऐसे विशेष योग्यजन अन्यथा जो आयोग/केन्द्राधीक्षक से भूतलेखक प्राप्त करना चाहते हैं, उन अन्यथा को परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व दिव्यांगता का वाइट चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अन्यथा का वर्धन-पत्र केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।
4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत परिवर्तित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत व कम नियमानुसार) को दृष्टिकोणित (Blindness), दोनों हाथों की नियमानुसार-Both Arms) एवं सेरेब्रल पाल्ही कंधी भर्ते अन्यथा द्वारा आहने पर विशेष योग्यता का विकित्सा प्रमाण-पत्र, अन्यथा एवं भूतलेखक का वर्धन-पत्र के आवार पर भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उपर बतायी वाई-अलाय Section-2(r) के तहत परिवर्तित अन्य धर्मी के नामजल में लेखन तथा में असमर्थता के संबंध में मुख्य विकित्सा एवं त्यास्य अधिकारी/विकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-C), विशेष योग्यता का विकित्सा प्रमाण पत्र एवं भूतलेखक की सुविधा देख होनी और/या क्षतिष्ठूरक समय प्रदान किया जायेगा।
5. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत परिवर्तित विशेष योग्यजन (40 प्रतिशत व कम नियमानुसार) की अंगों के मामले में लेखन तथा ने असमर्थता के संकेत में तुला विकित्सा एवं त्यास्य अधिकारी/विकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध Appendix-D) एवं विशेष योग्यता का विकित्सा प्रमाण-पत्र ब्रॉकेजिट करने पर भूतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अन्यथा को भूतलेखक की सुविधा की सुविधा और/या क्षतिष्ठूरक समय देख नहीं होगा।
6. भूतलेखक के संबंध में विशेष निर्देशों एवं प्रधान-पत्रों का आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध "Candidate Information> Important Downloads> Instructions for availing services of Scribe" के अन्तर्गत डाउनलोड करें। वेबसाईट पर उपलब्ध भूतलेखक संबंधी इन निर्देशों को प्रिज्ञान का नाम/हित्र नाम जायेगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of School Lecturer

- (1) The examination shall carry 450 marks.
- (2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and Paper II shall be of 300 marks. Duration of Paper I shall be One and a Half hours and the duration of Paper II shall be Three hours.
- (3) All the questions in both the Papers shall be Multiple Choice Type questions.
- (4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

- (5) The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (ग्रन्तीपूर्व सेविका तथा आमेलन) नियम, 1988 तथा राजस्थान विद्याग्रन्थ अधिकार नियम, 2018 में विहित प्राक्षानामुसार भूलपूर्व सैनिकों एवं विशेष योग्यजन को न्यूनतम उत्तीर्णों ने छट्ट/रियायत दी जायेगी।

- (6) Subjects included in both the papers are shown in the table below.

PAPER – I General Studies

Duration: 1 Hour and 30 minutes

SUBJECTS

1. History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement
2. Mental Ability Test, Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test :- Hindi, English
3. Current affairs
4. General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan
5. Educational Psychology, Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009

PAPER – II Subject Concerned

Duration: 3 Hour

SUBJECTS

1. Knowledge of Subject Concerned: Senior Secondary Level
2. Knowledge of Subject Concerned: Graduation Level
3. Knowledge of Subject Concerned: Post Graduation Level
4. Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning

Scheme and syllabus of competitive examination for the post of Coach

- (1) The examination shall carry 450 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments.(as per "Note" mentioned below Paper II).
- (2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and paper II shall be of 300 marks. Duration of the paper I shall be one and a half hours and the duration of Paper II shall be Three Hours.
- (3) All the questions in both papers shall be Multiple Choice Type questions.
- (4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.



5. The minimum qualifying marks for each paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (मूलपूर्व सेविक का आवेदन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 ने चिह्नित प्राक्कानन्दसार मूलपूर्व सेविको एवं विशेष दोषांगजन को न्यूनतम उत्तीर्णोंको में कट/रियायत दी जायेगी।

6. Subjects included in both the papers are shown in the table below:-

PAPER - I General Studies

Duration: 1 Hour and 30 minutes

SUBJECTS

1. History of Rajasthan and Indian history with special emphasis on Indian National Movement.
2. Mental Ability Test, Statistics (Secondary level), Mathematics (Secondary level), Language ability test: - Hindi, English.
3. Current Affairs
4. General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan.

PAPER - II Sports Concerned

Duration: 3 Hour

SUBJECTS

1. Knowledge of Physical Education & Sports.
2. Sports Sciences.
3. General Theory and Method of Training.
4. Specific Knowledge of Games/ Sports and its current affairs.

Note – (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation & the position gained in sports competition shall be as under:-

1. Participation at international level or winner at national level.	40 marks
2. II position at national level.	36 marks
3. III position at national level.	32 marks
4. Participation at national level or winner at state level.	28 marks
5. II position at state level.	24 marks
6. III position at state level.	20 marks
7. Participation at state level or winner at district level.	16 marks
8. II position at district level.	12 marks
9. III position at district level.	08 marks
10. Participation at district level.	04 marks

Note –(II) Level shall be as under :-

1. District Level - Following tournaments will be considered of district level-
 - a. District level school tournament of Elementary Education Department.
 - b. District level school tournament of Secondary Education Department.
 - c. State level school tournament of Sanskrit Education Department.
 - d. Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - e. Inter college tournament of Universities.

2. State Level - Following tournaments will be considered of state level-
 - a. State level school tournament of Elementary Education Department
 - b. State level school tournament of Secondary Education Department
 - c. National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
 - d. Inter University tournament at zone level.

3. National level- Following tournaments will be considered of national level-
 - a. School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
 - b. Inter University tournament at National or inter zone level.

4. International level. Participation in international tournaments through any one of these organizations:- School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.

Note –(III) Verification of Sports Certificates –

- a. Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the institution.
- b. Sports Certificate of participation or acquired position in international tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

Scheme and syllabus of competitive examination for the posts Lecturer of Physical Education:-

- (1) The examination shall carry 460 marks and maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments. (as per "Note" mentioned below Paper II).

- (2) There will be two papers. Paper I shall be of 200 marks and paper II shall be of 260 marks.

Paper-I

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2:00 hours.
3. The question paper will carry 100 question of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects:
 - (i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.
 - (ii) Current Affairs of Rajasthan.
 - (iii) General knowledge of world and India.
 - (iv) Educational Psychology
5. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.

6. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

राजस्थान सिविल सेवा (मूलपूर्व सेविक का आवेदन) नियम, 1988 तथा राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 ने चिह्नित प्राक्कानन्दसार मूलपूर्व सेविको एवं विशेष दोषांगजन को न्यूनतम उत्तीर्णोंमें कट/रियायत दी जायेगी।

Paper-II

1. The question paper will carry maximum 260 marks.
2. Duration of question paper will be 2 hours.
3. The question paper will carry 130 questions of multiple choices.
4. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

Explanation: Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.



5. The minimum qualifying marks for the paper shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Schedule Castes and Schedule Tribes.
राजस्थान सिविल सेवा (मूलपूर्व सैनिक का अभ्यर्थी) नियम, 1998 तथा राजस्थान विध्योगिक अधिकार नियम, 2018 में विभिन्न प्राक्षात्मकताएँ मूलपूर्व सैनिकों एवं विभिन्न विध्योगिकों द्वारा उत्तीर्णीकों में सूट/सियात दी जायेगी।

6. Paper shall include following subjects -

- General Knowledge of Physical Education of Secondary and Senior Secondary standard
- General knowledge of sports and Physical Education and current affairs.
- Theories, definitions and History of Physical Education.
- Education and Games Psychology.
- Methods, Supervision and Organizations of Physical Education.
- Theories of Training and Decisions.
- Science of basic Physical Anatomy, Function and Health Education.
- Entertainment, camp and Yoga.

Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition

For the post of Lecturer of Physical Education maximum 40 marks shall be awarded for participation in sports/ tournaments.(as per "Note" mentioned below).

Note - (I) Awardable marks on the basis of certificate of the participation and the position gained in sports competition shall be as under:-

1. Participation at international level or winner at national level.	40 marks
2. II position at national level.	36 marks
3. III position at national level.	32 marks
4. Participation at national level or winner at state level.	28 marks
5. II position at state level.	24 marks
6. III position at state level.	20 marks
7. Participation at state level or winner at district level.	16 marks
8. II position at district level.	12 marks
9. III position at district level.	08 marks
10. Participation at district level.	04 marks

Note -(II) Level shall be as under :-

1. District Level - Following tournaments will be considered of district level.-

- District level school tournament of Elementary Education Department.
- District level school tournament of Secondary Education Department.
- State level school tournament of Sanskrit Education Department.
- Cluster level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization;
- Inter college tournament of Universities.

2. State Level - Following tournament will be considered of state level-

- State level school tournament of Elementary Education Department
- State level school tournament of Secondary Education Department
- National level school tournament of Navoday Vidyalay Samiti and Central School Organization.
- Inter University tournament at zone level.

3. National level- Following tournaments will be considered of national level-

- School games tournament organized by School Games Federation of India at national level.
- Inter University tournament at National or inter zone level.

4. International level- Participation in international tournaments through any one of these organizations:-

School Games Federation of India, University Sports Association or Sports Federation of India.

Note -(III) Verification of Sports Certificates -

- Sports certificates will be considered if they are verified by Secretary of Rajasthan Sports Council Or Head of the Institute with a mention that participant is a regular student of the Institution.
- Sports Certificate of participation or acquired position in International tournament through School Games Federation of India, University Sport Association or Sports Federation of India will be considered only when the same is verified by the concerned federation/ association.

प्रश्न पर हेतु आव्योगिता की जाने वाली प्रैक्टिक के लिए श्री.एस.आर. उत्तरायण में ग्राहन के विकल्प बदले गए सुधार ने विवेक निर्देश-

- Each question has five options marked as 1, 2, 3, 4, 5. You have to darken only one circle (bubble) indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
- It is mandatory to fill one option for each question.
- If you are not attempting a question then you have to darken the circle "S". If none of the five circles is darkened, one third (1/3) part of the marks of question shall be deducted.
- After solving question paper, candidate must ascertain that he/she has darkened one of the circles (bubbles) for each of the questions. Extra time of 10 minutes beyond scheduled time, is provided for this.
- A candidate who has not darkened any of the five circles in more than 10% questions shall be disqualified.

अंति महत्वपूर्ण बिन्दु/नोट :-

- अप्लाई Online Application Form में अपना यही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी जकित करें जिस पर वह पर्सोना/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS & E-Mail के साथ से आहुता है। ऑनलाइन आवेदन में जकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आईडी कदलन/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होतीं हैं।
- अप्लाई यथासम्भव नोबाइल नम्बर एवं पत्र व्यवहार के पते से परिवर्तन नहीं करें, यदि परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो इसकी सूचना आयोग को जीच भेजें।
- जावेडक अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र छान्हानपूर्वक भरें। अपना ऑनलाइन आवेदन-पत्र ऑफिस रूप से Submit करने से पूर्व उत्तकी समस्त प्रविष्टियों से जारूरत हो जाए तो किसी प्रविष्टियों सही-सही नहीं गई है। जावेडक हासा आवेदन ने भरी गई प्रविष्टियों को ही जारी गारंटर आयोग हासा आवेदन की कार्यालयी की जावेनी।
- अप्लाई आयोग हासा नियारित समय सीमा में आवेदन की अनित्य दिनांक का इन्तजार किये दिना ऑनलाइन आवेदन करें, अन्यथा किसी प्रकार की कोई मेट्रिक समस्या के लिए आवेदन जारी होकर अप्लाई तार्थ दिमेट्रिक होगा।
- आवेदन हासा तार्थ /ई-मित्र/ जन्म किसी स्तोत्र से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते/भरवते हमें किसी प्रकार की कोई गलत प्रविष्टि/मूलयक त्रुटि हो जाती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी तार्थ आवेदक की होती है। इहलिए आवेदक संपूर्ण अप्लाई आवेदन-पत्र को Preview में अपनी जाति/इन/सेनी, जार्य (जन्म दिनांक), विषय, घोषणा इत्यादि संबंधी दखल प्रविष्टियों की जीव आवश्यक तरफ से करने के पश्चात् त्रुटि होने पर उन्हीं सुनारने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन-पत्र को Submit करें और उत्तका प्रिन्ट लेफर उत्तकी जीव आवश्यक तरफ से पुनः बन लेवें। अमर किर भी कोई गलती/त्रुटि पाई जाती है, तो आयोग हासा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में तंशीबन की नियारित प्रक्रियानुसार संशोधन आवश्यक रूप से बार लेवें। इसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या जीफलाइन संशोधन/परिवर्तन त्वाक्कार नहीं किया जाएगा। एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व तार्थ अप्लाई का ही होगा। साथ ही आवेदक को यह सी हिदायत दी जाती है कि जावेडक आवर ई-मित्र अंदर अन्य स्तोत्र के भरोसे न छोड़े कि उनके हासा आपका

अैनलाइन-आप्टेन-पत्र सही-सही भर दिया होगा/ जाएंगा। किसी भी प्रकार की मलत सूचना भरे जाने पर आपके अभ्यास के विषय कार्यवाही किए जाने हुए स्वतंत्र होगा।

6. यदि आवेदक द्वारा अपनी बेटी से मिस्ट्री बेटी ने आवेदन किया जाता है तो इसे अधिकारी का परिचय भागते हुए आवेदन पत्र में संबोधन की उपर्युक्त नियमित अधिकारी के पश्चात् बेटी में सूचाएँ की सूचिका/अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत बेटी में आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन-पत्र जापेग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त लिमिटेडी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछ़ावा वर्ग/जटि पिछ़ावा वर्ग/आधिक लम्ब से कमज़ोर वर्ग/उल्कूट खिलाड़ी/भूमध्य ऐनिक/अनुसूचित वैद्य/विवाह/विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहा/पिकलागता/राज्य कर्मचारी/पर वावपत्रि कर्मचारी/मत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी/अन्य वर्ग के अन्यानी Online Application Form ब्रूहुता (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट लम्ब से उल्लेख नियमित जॉलम में करे अन्यथा Online Application Form परिति की अनिम दिनांक पश्चात्/संशोधन करने ले अद्वितीय समाचार होने के बाद वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेग और ऐसे अन्यथियों को जो कि अपने संबोधित वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष जा ज्ञान पिछ़ावा पड़ी हेतु देय नहीं होकर आवेदक द्वारा अनुलाईन आवेदन-पत्र में जो बेटी/वर्ग भी/भर्ता हैं तो मानकर कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा जिस बेटी/वर्ग में अनुलाईन आवेदन-पत्र भरा है तुल सूचित वर्ग/वर्गों से संबोधित प्रणाली-पत्र/दस्तावेज़ जो कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले वा/तक वा उन हाना घाँटे, या तस्य प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदक/अभ्यर्थी की पञ्चता को अन्वरेषण/मूल वर्ग की रिकॉर्ड के लिए दिखारित किया जायेगा, जिसकी समस्त लिमिटेडी त्वय अभ्यर्थी की होगी।

7. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र, आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना नहिं प्राप्त होग, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनुसूचित (Provisional) स्वप से संबोधित गती परीक्षा/साक्षात्कार ने प्रवेश दिया जाएग। जरूरत के लिये प्रदेश-पत्र जारी करने का यह अभिन्नाय नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अनिम रूप से नहीं मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित प्रविष्टियों आयोग द्वारा नहीं मान ली गई है। आयोग/दिवाह द्वारा आवेदकों को पान्ता की जाय अलग हो जायेगी। अस्थाई रूप से उपर सोने की तिथि में आवेदक को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरना होगा एवं इसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज़ों की स्वामाणित ओटे प्रतियों एवं परीक्षा हेतु जारी ई-प्रवेश पत्र की भर्ती भी अपलोड करनी होगी।

आयोग द्वारा उम्मीदवार की पञ्चता की जांच मूल प्रतेकी अथवा छोटी प्रतियों से करते समय ददि अभ्यर्थी की आयु शैक्षणिक गोम्यता, जारकृत वर्ग उल्लिखित जाति/अनुसूचित प्रजनाति/पिछ़ावा वर्ग/जटि पिछ़ावा वर्ग/आधिक रूप से कंगजोर वर्ग/उल्कूट खिलाड़ी/भूमध्य ऐनिक/अनुसूचित क्षेत्र/विवाह/विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहा/पिकलागता/राज्य कर्मचारी/मत्रालयिक कर्मचारी/विभागीय कर्मचारी) तथा विज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों को पारेक्षण्यस्वरूप अभ्यर्थी की अपान्ता ज्ञात होने पर हस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द हो जा सकती है जिसकी समस्त लिमिटेडी त्वय अभ्यर्थी की होगी।

8. किसी भी परीक्षा में अस्थाई रूप से स्फूर्त घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी का विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरे जाने हेतु नियांरित समयावधि के लिये नियमित सांख्याकारी प्राप्ति के उपरान्त यह लिंक रुक्त हो जायेगा। इसकी उपरान्त किसी भी प्रकार से विस्तृत आवेदन पत्र रद्वाकार नहीं किया जायेगा। एवं अभ्यर्थी की अभियंता रद्द कर दी जायेगी, जिसकी समस्त लिमिटेडी अभ्यर्थी की होगी।

9. माननीय राज्य न्यायालय, जयपुर द्वारा D.B.Special Appeal Writ No. 1631/2017 आरपीएससी बनाम प्रियका जैन व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसार ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अनिम दिनांक तक विवाह/परिवाहा/विविधन विवाह/तलाकशुदा वर्ग में आवेदक महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो वही उसे विवाह/विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहा वर्ग का साम दिया जायेगा।

10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/ब्रूटि सुधार संहोषण अधिकी के पश्चात् कोई अभ्यर्थी आकर्षित रूप से विवाह/विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहा वर्ग के अंतिम परीक्षाम से पूर्व वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा जिसके लिए उसे विवाह हेतु आवाह-कार्ड, मूल्य प्रमाण-पत्र, लिंक दस्तावेज़ (यथा - विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, नवजाता प्रक्षमान पत्र आदि कार्ड, पति के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) तथा विवाह हेतु निश्चयता प्रमाण-पत्र वर्ग 500/- रुपये का ऑनलाईन शुल्क भुगतान कर उसकी प्राप्ति रसीद प्रन्तु जाने पर ही परिवर्तन स्वीकार्य होगा। किसी परीक्षा के एक से अधिक वर्ग होने पर प्रक्षम वर्ग की परीक्षा उपरान्त अभ्यर्थी विवाह/विविधन होता है तो वर्ग परिवर्तन का लाभ जाने वाले विवाह में ही देय होगा, परन्तु पूर्व के परिवाह को इस जायार पर रिव्यु/पुनर्वालोकन नहीं किया जायेगा।

11. विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहा महिला अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक साक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्टी (माननीय राज्यालय दस्तावेज़, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के निर्णयानुसार) प्रत्यक्षता करने पर ही आज्ञान का जान प्रदान किया जाएगा। परिवाहा/तलाकशुदा/विविधन विवाह आवेदक का तलाक सम्बन्धी प्रकरण/वाद माननीय न्यायालय ने विचाराधीन/लम्बित है एवं डिक्टी ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक पारित नहीं हुई है, तो परिवाहा/विविधन विवाह/तलाकशुदा बेटी/बर्ती का लाभ देय नहीं होगा।

12. विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहा बेटी बर्ती को ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह नहिला को आवेदन की अंतिम तिथि तक अथवा विवाह के द्वारा वर्ग/बेटी संक्षेपन करने पर उसे वर्ग/बेटी संक्षेपन जीवन से विवाह वर्ग परिवर्तन करना होगा।

13. आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करे जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में नियित निम्न व उच्च आयु तीमा के अन्तर्गत प्रतिवित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबोधित सम्पूर्ण मानवपद/साधारण पूर्ण करता हो। विज्ञापन में दी गई विविधन विवाह विविधन योग्यता एवं अनुभव के अंतिम अन्य किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार शैक्षणिक/प्रैक्टिशियन योग्यता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर वही पात्र माना जायेगा अन्यथा आवाह मान जायेगा।

14. आवेदकों को इस विज्ञापन में दी गई आयु तीमा के छूट के अधिरेख अन्य किसी उक्त पद की कोई नियन्त्रण आयु एवं अधिकातम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

15. परीक्षाधीनों को ई-प्रवेश-पत्र वर्ग उत्तर उत्तर परिवर्तन विवाह-निर्देश की पालन नीति विवरित किया जाना आवश्यक होगा।

16. परीक्षा के दौरान प्रकल्प/ओएमआर प्रकल्प/उत्तर पुस्तिका में अंकित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा दिया जाना आवश्यक होगा, परीक्षाधीन द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार वायांवाही नहीं किये जाने पर प्रकल्प पत्र/ओएमआर प्रकल्प/उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की गलती/ब्रूटि के लिए परीक्षाधीन स्वयं विचेदार होगा।

17. प्रकल्प-पत्र ने नुटि होने अथवा एक से अधिक उत्तर गलत/सही होने अथवा उत्तर बूजी में गलती/ब्रूटि अथवा प्रकल्पतर के स्वयं में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग के विवाद विवाहवालों के पैनल द्वारा दैवार वही गई अन्तिम उत्तर बूजी के अधार पर जारी परिणाम सभी अभ्यर्थी को मान्य होगा। उसमें किसी प्रकार का कोई वाद-विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

18. परीक्षाधीन द्वारा केन्द्राधीनक/अनिवार्य/आकोश द्वारा नियूल अधिकारी या कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन नहीं करने/परीक्षा ऑन्ल-पर विरोधी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने/परीक्षाकर्ता में किसी प्रकार की विकल्पत के होने की स्थिति में विकल्पत देने के स्वयं पर परीक्षा में व्यवहार/डॉग्गा करने एवं परीक्षा में अनुचित ज्ञानों का उपयोग/उपयोग करने पर परीक्षाधीन की भी सुधारित उत्तर तामस कार्यवाही कर सकता है। साथ ही परीक्षाधीन के विकल्प विवाद करने सहित राजस्वान सार्वजनिक परीक्षा (गती में अनुचित उत्तरों के अन्युपाय) अधिनियम, 2022 के अनुसार आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

19. यदि किसी अभ्यर्थी/परीक्षाधीन को आयोग/संघ लोक सेवा आयोग/अन्य भाई एजेंसीयों की डिक्टी भी नहीं/परीक्षा में अनुचित व्यवहार के लिए नविष्ठ की विवरित विवरित होने की स्थिति में विवरित विवरित देने के स्वयं पर परीक्षा में व्यवहार/डॉग्गा करने एवं परीक्षा में किसी प्रकार की गलती/ब्रूटि के लिए परीक्षाधीन स्वयं विचेदार होगा।

20. साथ ही कर्मचारी को देव समय यथा आयोगी में छूट, अन्यथा इत्यादि वेदत साजस्वान साज्ज वा कर्मचारीयों को ही प्राप्त है। अन्य साज्ज वा कर्मचारी या केन्द्र सेवा में कर्मचारी सामान्य अभ्यर्थी ही माने जायेंगे उनके उक्त उत्तर नहीं किया जायेगा।

प्रगति-पत्रों का सत्यावन :-

- कार्मिक (क-२) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2022 एवं दिनांक 17.10.2022 के अनुसार अनुसूचित जारी, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जाति पिछड़ा वर्ग एवं आवेदक सम से उमणोर वर्ग* के अन्यर्थियों को आत्मण का लाभ लेने हेतु जारी प्रमाण-पत्र औनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। परन्तु यदि किन्ही कारणों से अन्यर्थी हाश आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे अन्यर्थी को इस लाशय का शास्त्र-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की प्रक्रिया रखता था तथा यह सुधार गजत यादे जाने पर उसकी नियुक्ति निरसा की जा सकेगी।
 - * Note: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के अनुसार जिस व्यक्ति के पास पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ था परन्तु आवेदन के समय उसके हाश EWS प्रमाण पत्र बनाया हुआ नहीं था तो उसके हाश प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर उसकी प्राप्तता पर विचार किया जायेगा। यदि जिसी अन्यर्थी के पास आवेदन के समय या इससे पूर्व का EWS प्रमाण पत्र बना हुआ ही नहीं है तो उसे इस परिपत्र का लाभ देय नहीं होगा।
 2. पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में नियास ल्यान एवं क्रीमीलेयर/नौन क्रीमीलेयर की प्रतीकृतियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र जो नियास अनुसार पिता एवं माता की आय ले आधार पर सक्षम क्रियारूप द्वारा नियासित प्रपत्र एवं जारी किया हुआ है। अम: पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग की विकल्प भौहित लावेदक वो असंवित प्रटर्न जो लाभ प्राप्त करने हेतु लापने पिता के नाम, नियास स्थान व अमा के आधार पर सक्षम प्राप्तिकारी हाश विकेत प्राप्त करने के लिये नियास अनुसार जारी जारी प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम नियास स्थान व आमा के आधार पर जारी जारी प्रमाण पत्र नाना नहीं होगा।
 3. राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/अंति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अन्यर्थियों को आत्मण का लाभ देय नहीं है। इस ऐसे अन्यर्थियों को Online Application Form¹ साक्षात वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राप्तिकारी हाश नियासित प्रपत्र पर जारी किया हुआ होना पर्याप्त तात्परा अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण-पत्र कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार उस अधिसूचना जारी होने के पश्चात का एवं औनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना पर्याप्त होना चाहिए।

5. अनुसूचित जाति/अनुत्तरित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को आवक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु जपने पिता के नाम से निवास स्थान के अधिकार पर लक्षण प्राप्तिकारी हाशा विवाह प्राप्त ने नियमानुसार जारी जारी प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। परन्तु वाम से निवास स्थान के अधिकार पर जारी जारी प्रमाण पत्र गम्भीर नहीं होगा।

6. आधिक सूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (Income & Assets Certificate) अमर्यादी एवं उसके पिता के नाम से लक्षण पिता एवं पिता की पारिवारिक आय के आधार पर लक्षण प्राप्तिकारी हाशा विवाहित प्राप्त ने जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिये।
Note: विवाहित नहिला आवेदक के लिए ₹५५५ प्रमाण पत्र पिता के नाम से लक्षण पिता एवं पिता की पारिवारिक आय के आधार पर जारी किया हुआ होना आवश्यक है। यह सभी प्रमाण पत्र जैसे - श्रेणी/वर्ग/जाति/अनुसूचित शेत्र श्रेणी (जहां प्राप्तिकारी हाशा विवाहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र), अनु (आयु वीं वर्षान्त तक नहीं रहकरी प्रमाण-पत्र), उत्कृष्ट विवाही (आयोग की विवाहाइट पर उत्पत्तय विश्व-विवाहानुसार प्रमाण-पत्र), दिव्यांगता* (सम्पूर्ण वास्तव वर्ष के किंतु भी राज्य के लक्षण विवित संकालिक कर्मचारी, विमानीय कर्मचारी इत्यादि का प्रमाण नियमानुसार जारी होना आवश्यक है। विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली नहिला आवेदक के पास पिता का मूल प्रमाण-पत्र एवं पिता के नाम से लिंक प्रमाण पत्र (जहा - विवाह पर्वीयन प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, अधार कार्ड, पिता के नाम से मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि) वर्ग/श्रेणी संशोधन की दिनांक तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा विवाह श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। इसी प्रकार परिवाहता/तलाकशुदा/ विविधन विवाह श्रेणी में आवेदन करने वाली नहिला आवेदक के पास माननीय न्यायालय हाशा परिवर्त उत्तराधिकार, जोधपुर में DBSA No. 72/2022 के विर्यानुसार औनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा परिवाहता/विविधन विवाह/तलाकशुदा श्रेणी/वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।

*नोट- नियमानुसार विवाह योग्यजन के आदेश दिनांक 28.02.2024 के अनुसार दिनांक 01.03.2024 के प्रस्तुत जारी नदीन विवाहिता प्रमाण पत्र (UDID) / स्थावलम्बन पोर्टल से जारी किये हुये ही गम्भीर होंगे।

7. मूलपूर्व सैनिक के संबंध में प्रावधान - कार्मिक (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो वर्षानी प्रेहन अंजित करने के प्रस्तात संवादित हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर संवादित हो रहा/रही है वर उसने लक्षण प्राप्तिकारी से निच्छेष प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पत्र होगा/होगी, किन्तु पदवाहण से पूर्व उसे समूचित नियुक्ति प्राप्तिकारी के सम्पूर्ण संवादिती का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मूलपूर्व सैनिक निच्छेष प्रमाण पत्र (N.O.C.) के अधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक संवादिती से पूर्व व्यक्ति द्वारा जारी/जारी है तो नियुक्ति प्राप्तिकारी पदवाहण कालायदि जो विवित कर सकता और उसकी संवादितीसे के दो माह तक कालायदि के भीतर पद वाहण करने के लिए अनुमति किया जाएगा। कार्मिक (क-२/२) विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2021 के अनुसार अनापाति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किये जाने के प्रस्तुत संवादिती के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण के लिए ०१ वर्ष की अवधि भी वर्षाना आवेदन की अंतिम तिथि से की जाएगी। याथ ही यदि किसी मूलपूर्व सैनिक ने आलोचना का लाभ लेने के प्रस्तात राजस्थान सरकार के अंदर किसी पद पर एक वार सेवा वाहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोगन के लिए उसकी मूलपूर्व सैनिक ली प्रारिविति संभाल हो जाएगी। राजस्थान सरकार के अंदर नियोजन प्राप्ति करने वाले प्रस्तुत किसी व्यक्ति को एक विवित कर्मचारी मना जाएगा। परन्तु सीधी भर्ती की बाबा में जाहा किसी भी पद के लिए जिसी नियमानुसार पद का अनुमत अनिवार्य है, मूलपूर्व सैनिक को बोल इस कारन से कि वह, सरकारी सेवा में कोई त्वचा घोषणा पत्र/वर्षनाम सेवा है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे मूलपूर्व सैनिक प्रधारी के कारबद्ध से विवित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह और कि यदि कोई मूलपूर्व सैनिक विविन पदों के लिए आवेदन करता है और लक्षित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि १ अग्र 2002 को विभाग उसके बच्चों/सातानों की जस्ता में बदोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहाँ किसी आवेदक के मूर्खतर प्रवाद गोंडल एक छक्का/सनाम है, किन्तु किसी एक प्रश्नावर्ती प्रवाद से एक से अधिक बच्चे/सनाम पेदा होती है, वही बच्चों/सनामों की गुल तरफ की वर्षाना कहते समय इस प्रकार पेदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की चतुर्वाली की कुल संख्या भी वर्षाना करते समय ऐसी लतान की, जो बुरीतर प्रस्तुत ते पेदा हुए हो और नियमानुसार ही, वर्षाना नहीं की जाएगी। परन्तु यह भी कि दोनों योग्यता के लिए नियुक्ति नहीं हो जाएगा। यदि ऐसे प्रविधियां से एकले प्रवाहण हाशा की संशोधन करना याकृत नहीं हो जाएगा। तार्मिक (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान विविल सेवाएँ (मूलपूर्व सैनिकों का आमेलन) वियम् 1988 के कानूनी मूलपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी मूलपूर्व सैनिकों को ही देय है।

8. शासन के परिपत्र लामाक प्र(19)गृ-१३/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इन परिपत्र के जारी होने की विभाग से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विश्व-प्रतीक्षण कराया जानीपर्याप्त किया गया है। उत्तमदब्दी विवाह वर्गीयन प्रमाण-पत्र वर्ग समय प्रस्तुत करना जारीनीय होगा।

9. एसा योग्य भी छम्भारी, जिसके 01.06.2002 को या उसके प्रस्तुत दो से अधिक बच्चे/सनाम हो, जोका ने नियुक्ति के लिए पत्र नहीं होगा, वरन्तु दो से अधिक बच्चों/सनामों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए उसके बच्चों/सनामों की जस्ती तक उसके बच्चों/सनामों की जस्ती तक अनिवार्य है, परन्तु किसी अधिक प्रधारी के कारबद्ध से विवित नहीं किया जाएगा। परन्तु सीधी भर्ती की बाबा में जाहा किसी भी पद के लिए उसके बच्चों/सनामों की जस्ती तक उसके बच्चों/सनामों की जस्ती तक अनिवार्य है, परन्तु किसी अधिक प्रधारी के कारबद्ध से विवित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह भी कि किसी अधिक प्रधारी के कारबद्ध से विवित नहीं किया जाएगा। परन्तु यह भी कि किसी अधिक प्रधारी के कारबद्ध से विवित नहीं किया जाएगा। यदि ऐसे प्रविधियां से एकले प्रवाहण हाशा की संशोधन करना याकृत नहीं हो जाएगा। तार्मिक (क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान विविल सेवाएँ (मूलपूर्व सैनिकों का आमेलन) वियम् 1988 के कानूनी मूलपूर्व सैनिकों को देय लाभ, राजस्थान राज्य के मूल निवासी मूलपूर्व सैनिकों को ही देय है।

10. विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहता श्रेणी की नहिला जो औनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह नहीं होना जारीनीय होगा।

11. आवेदक जो विवाहन ने उत्तमदब्दी आवश्यक बोल्डिक योग्यता व अनुच्छेद प्रमाण-पत्र यथा वर्षान्य समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. विविधन विवाह/तलाकशुदा/परिवाहता श्रेणी की नहिला जो औनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक एवं विवाह नहीं होना जारीनीय होगा।

13. आवेदक को अनिवार्यीकृतिक संख्या के बारें प्रमाण-पत्र यथा वर्षान्य समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसमें चारें के सम्बन्ध में कम से कम "अच्छा" का उत्तरेक्षा/अंजित होना आवश्यक होगा।

14. आवेदक जो वर्षान्य उपरान्त आवश्यक सम्बन्धी पुलिस सल्यापन प्रमाण-पत्र यथा वर्षान्य समय नियुक्ति प्राप्तिकारी की प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसमें आवेदक को खिलाक ऐसी किसी आपराधिक घार का उत्तरेक्षा नहीं होना जाहीर योग्यता विवाह समय में विविल सेवा में वासा/समस्या उत्पन्न हो। राज्य ही किसी आपराधिक प्रवाहण में दोषासिद्ध होने से या प्रकरण/दबद आपराधिक सूप से विवाहारीन होने पर नियुक्ति हेतु अप्रयुक्त होगा।

15. आवेदक जो वर्षान्य उपरान्त जहां प्राप्तिकारी हाशा जारी विविल सेवा यथा वर्षान्य समय नियुक्ति प्राप्तिकारी की प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, कि आवेदक दूर्वास्य से स्वत्व है एवं संख्य सेवा के लिए पूरीत उपयुक्त है।

16. आवेदक जो पहले से ही सरकारी सेवा यथा वर्षान्य/सार्वजनिक संस्थानीय सम्बन्धी उपरान्त पर्याप्त होगा।

17. अमर्यादी की पालना के संबंध में जबाबदी सेवा ने नियम जारी किया गया।

आरोग्य-पत्र में गवाहा/कुरिएर सम्मान/अधिक आरोग्य-पत्र नहीं बरण के सम्बन्ध में विशेष निर्देश

अपनी अनलाइन आवेदन-पत्र भरने से पूर्व एकबारीय परीक्षण शुल्क आवेदन प्रक्रिया, इमारत मर्जे से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य डिग्नो उ सूचना के लिए जरूरी बिस्तर है। आवेदन द्वारा प्राप्ति की जैसाइट वर जारी नहीं करता है। एवं संबंधित आवेदन-पत्र व परीक्षा संबंधी सामान्य दिक्षा-निर्देश तथा सम्बन्धित रोका नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से करने हुए आवेदन-पत्र भरे। गलत/कुट्टिपूर्ण सूचना वा अपूर्ण आवेदन-पत्र भरने पर कावेदक या आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाता। जिसकी जाप्यूर्ण विमेदारी सब जापेक वी सौंपी तथा गलत/कुट्टिपूर्ण सूचना वा अपूर्ण आवेदन-पत्र के सुधार से तुला जाकर/अनलाइन प्रार्थना-पत्र/ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र/वज्ञ-व्यवहार इत्यादि स्वीकार नहीं किया जाएगा। चूंकि जापेक द्वारा अन्यथी की जाज्ञा की जाय सम्भवित नहीं परीक्षा का परिणाम जारी होने के पासाने इस्तेहारी रूप से दायरिता आभासियों द्वारा प्रत्युत पिस्तृत आवेदन-पत्र व सूचना में किये गये अनिल्लैन आवेदन-पत्र में भी ऐसी नई सूचना के जापार पर की जाती है। इत्यादि औनलाइन आवेदन पत्र में भी नई नई सूचना भी जारी नामाने हुए भारी परीक्षा ने उसकोइ प्रयोग दिया जायेगा। अगर अन्यथी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र व गलत/कुट्टिपूर्ण सूचना प्रधान अपूर्ण सूचना चढ़ी है, तो अन्यथी का विकास रद्द करने का अधिकार आवेदन-पत्र हुआ। इसकी समस्त विमेदारी आवेदक जो हुए ही जिसकी संवत्त्य अन्यथी को छोड़ कानूनी अधिकार नहीं है।

वाह यह कहा

दिन्दु व सूखना :— एपेक्षारीय पर्यावरण सुख, आपेक्षन प्रक्रिया, प्रमाण एवं से संबंधित सूखना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य दिन्दु व सूखना के हिए आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं रहता।

एवं सामाजिक परिवर्तनाधीया का आवायन व परकार साक्षर तांत्रिक दिवस—निवास तथा सम्बन्धित सेवा निवासी तथा उद्योगपत्र कृप ही चाहते हैं। इसकी अधिकारियत दुसरा परिवार के साथ में समय-समर्पण पर जोरी सूचनात्मक प्रक्रियालयन आयोग द्वारा वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसकी अधिकारियत किसी भी प्रक्रियत वे भाग निवेशन/सूचना/प्रपर्टीकरण के तुलनात्मक तरीके द्वारा आयोग आवायन के परिवर्तन में विविध स्तरों पर व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कुरावाह सं.—0145-2835212 एवं 2836200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त वज्र व्यवहार अधिकारी व्यवस्थामें इनके सभी आवायन ग्राहकर्य को सम्पूर्णतः किया जाए।

(रामानेवास 'नहेता')
सचिव

प्रतीलिपि— निवेशक, निवेशात्मक साधारणक विकास उत्तराधान वीक्षणे को दसवीं प

14.04 - 17.07.2023

दिनांक 14.07.2015 के तहम ने सुधनाथ प्राप्ति है।

दिनांक 14.07.2015 के द्वारा मैं सुखनाथ द्वितीय है।

संयुक्त संघिव

ଶ୍ରୀମତୀ କାନ୍ଦିପ

DSSSB , KVS, CTET, EMRS, NVS , BPSC , RPSC , UPTET , AEES , AWES , CHANDIGRAH , ALL STATE TETs EXAM & Other Departments Related NTT PRT TGT & PGT सभी Teaching Jobs और Others Non-Teaching Govt. Jobs की Updates & FREE NOTES प्राप्त कर सकते हैं . Follow us on social media -


FOR ALL TEACHING EXAM UPDATES & PDF - <https://t.me/Teachingexam>

FOR KVS NVS EMRS UPDATE & FREE NOTES - <https://t.me/forKVSexam>

CTET & All STATE TET EXAM- <https://t.me/CTETEXAM2024PREPARATION>

JOIN WHATSAPP CHANNEL FOR EVERY UPDATE LINK -
<https://whatsapp.com/channel/0029Va8gvx7Fy72BDgJYIf1V>

CLICK HERE TO JOIN FOR FREE NOTES & PDF -



FOR - ALL TEACHING EXAM

CTET & STATE TETs



FOR - NVS

EMRS

KVS



DSSSB PREVIOUS YEAR PAPER - [CLICK HERE](#)

DSSSB , KVS, CTET, EMRS, NVS , BPSC , RPSC , UPTET , AEES , AWES , CHANDIGRAH , ALL STATE TETs EXAM & Other Departments Related NTT PRT TGT & PGT सभी Teaching Jobs और Others Non-Teaching Govt. Jobs की Updates प्राप्त कर सकते हैं . JOIN for FREE NOTES & PDF.



JOIN WHATSAPP CHANNEL - [CLICK HERE](#)

